



उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ

UTTAR PRADESHIYA SAFAI KARMCHARI SANGH

देड; युनियन एक्ट 1926 के धारा 16 के अधीन रजि० सं० 10039

प्रधान कार्यालय : 126, नगर निगम, लालबाग, लखनऊ

शाखा : गाँव - कुलेसरा, ग्रेटर नोएडा, जिला : गौतम बुद्ध नगर। मो.-8527200186

सुरेश चन्द धानुक
संरक्षक

मुरारीलाल लोहरा
संयोजक

एन. आर. बाल्मीकि
अध्यक्ष

जगदीश प्रसाद बाल्मीकि
प्रमुख महामंत्री

रनवीर जंधारा
जिलाध्यक्ष गौ.बु. नग
8527200186

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

सूरजकीर - 9871472973

उपाध्यक्ष

सुनील भगवाना - 9650339221

कार्यकारिणी अध्यक्ष

नितिन कीर - 7503138360

महामंत्री

विनोद वसोड - 8800747819

कोषाध्यक्ष

महेन्द्र पारचा - 9313927572

सहमहामंत्री

अर्जुन भगवाना - 9719243400

सहमहामंत्री

विकास बेनीवाल - 9958492409

सचिव

कर्मवीर गुहेर - 8377843281

सहसचिव

अरूण बैद्य - 9650643552

सहसचिव

रवि चिन्डालिया - 8800134279

सलाहकार मंत्री

नेत्रपाल - 7531598542

उपसलाहकार मंत्री

अशोक जीनवाल - 9911689909

संगठन मंत्री

सुबोध - 9588505934

प्रेस मंत्री

रोहित महारौलिया - 9311202749

प्रचार मंत्री

राहुल जीनवाल - 8447951609

प्रचार मंत्री

सचिन उज्जैनवाल - 9911868513

प्रचार मंत्री

चन्द्रवीर - 8750148728

प्रवक्ता

राजकुमार - 9410843026

सक्रिय कार्यकर्ता

मनोज कुमार - 9910263857

सक्रिय कार्यकर्ता

मनीष कुमार - 8178288241

पत्रांक : उ.प्र. (न.क.) MUP/01

दिनांक : 06/07/2022

सेवा में,

श्रीमान आई.टी.आर

जनसूचना अधिकारी स्वास्थ्य विभाग

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जिला - जी बी नगर

विषय : आवेदन पत्र आई.टी.आर 2005 के तहत सूचना की प्राप्ति व जानकारी।

श्रीमान जी,

मैं रणवीर जंधारा जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ शाखा ग्रेटर नोएडा आपको मैं आवेदन पत्र देता हूँ आई.टी.आर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आपके स्वास्थ्य विभाग से सम्बंधित 12-प्रसंग जो इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं का जवाब व सूचना मुहैया करवाया जाए।

मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। ये सूचना सैकड़ों लोगों की जान व माल से सम्बंधित है। मैं इस आई.टी.आर आवेदन पत्र का फीस पोस्टल आर्डर के माध्यम से जमा करा रहा हूँ। कृपया हमें इस आवेदन पत्र का जवाब तुरंत मुहैया कराया जाए।

प्रेषक :

रणवीर जंधारा जिला अध्यक्ष

गौतम बुद्ध नगर

मोबाइल: 8527200186

रणवीर

R.T.I - 20779
110 - H.R.D
07.07.22